# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
**पीठासीन अधिकारीः– करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 62/2023**

**जीसीएमएस नं. 2023/62**

साहबराम पुत्र रामरख उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी चक 5 ए.आर.डब्ल्यू. चोटियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

**—अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. हरीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. निराणी पुत्री श्री रामरख पत्नी जसवंत सिंह जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. संतोष देवी उर्फ संतो देवी पुत्री श्री रामरख पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. माया पुत्री रामरख पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगागनगर।
5. तहसील राजस्व, हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

**— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2018 व डिक्री दिनांक 14.06.2018 (22.06.2018) एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमानगढ़, प्रकरण सं0 394/2017
अनवान हरीराम बनाम निराणी आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

**उपस्थिति:–**

श्री राजेश दीपराय, गुलाब सिंह बराड अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक 10.07.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भमि में प्रतिवादिया संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज आराजी में से चक 5 एआरडब्ल्यू–ए तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 14/16 में प्रतिवादीया संख्या 1 से 3 के नाम की कुल 2.613 है0, इसी अनुसार चक 2 एलएलडब्ल्यू तहसील संगरिया के खाता संख्या 67/61 में कुल 0.927 है0 व इसी चक के खाता संख्या 97/86 में कुल 0.097 है0 व चक 3 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या 59/51 में 1.289 है0 व चक 4 एमएमके के खाता संख्या 103/73 में कुल 0.457 है0 भूमि के वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने व वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में वर्णित भूमि अपीलांट के पिता रामरख की थी जो रामरख के फौत होने के बाद विरास्तन प्राप्त हुई। अपीलांट के पिता रामरख की मृत्यु सन् 1994 में हुई व अपीलांट की माता की मृत्यु दिनांक 11.01.2010 को हुई थी। अपीलांट की माता की मृत्यु के समय पांच बहनें शोक स्वरूप आई हुई थी व रिश्तेदारों के समक्ष पांचों बहिनों ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 व सावित्री देवी व इन्दो ने उपरोक्त भूमि में अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरासतन प्राप्त हक व हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा बलराम व मनीराम के हक में मौखिक रूप से छोड़ दिया। तभी से उपरोक्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा बलराम व मनीराम के संयुक्त आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने आपस में दुरभिसंधी कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वर्णित कृषि भूमि की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित करवा ली जबकि अपीलाट व उसके भाई बलराम व मनीराम भी रेस्पोडेंण्ट संख्या 1 ता 4 के भाई हैं व उनका भी प्रश्गनत भूमि में बहिस्सा बरबार का हक व हिस्सा बनता है, लेकिन रेसपोडेण्ट संख्या 1 ने जानबूझकर रामरख के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत भूमि रेसपोडेण्ट संख्या 2 ता 4 से घरू बंटवारा में प्राप्त होने के कथन किये हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 का कौनसी भूमि प्राप्त हुई इस का कोई उल्लेख नहीं है। बंटवारा कौनसी दिनांक, महिना व सन् में हुआ इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अपीलांट व अन्य भाई बहिनों को कौनसी भूमि प्राप्त हुई इस का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 द्वारा परित्याग करने की विवेचना की है। कानूनन विरासतन प्राप्त कृषि भूमि किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग नही की जा सकती तथा उनके द्वारा किया गया हकत्याग सभी वारिसों में बहिस्सा बराबर माना जावेगा। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने रामरख के सभी वारिसों को छिपाते हुए हस्तगत वाद प्रस्तुत कर दुर्भिसंधी कर राजीनामा प्रसतुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। जो अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय पारित हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः विलम्ब क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री के मामला में किसी प्रकार से पक्षकार नहीं है ना ही उसे पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता ही थी, क्यों कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट का काई हक व हिस्सा नहीं होने से उसे वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को पहले से ही जानकारी रही है। अपीलाण्ट ने जानकारी नहीं होने के मिथ्या कथन किये हैं। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 4 के पिता रामरख की मृत्यु उपरान्त उनके नाम दर्ज कृषि भूमि उसके सभी 9 वारिसों अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि उसके सभी 9 वारिसों अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 व बलराम, मनीराम, सावित्री, इन्दो, को विरास्तन प्राप्त हुई थी। अपीलाण्ट का यह कथन कि उनकी माता की मृत्यु के बाद पांचों बहिनों ने अपना अपना विरासतन हक व हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा बलराम, मनीराम के हक में मौखिक रूप से छोड़ दिया था तभी से उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता बलराम व मनीराम के संयुक्त आधिपत्य व धारा में चली आ रही है, कतई गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। ऐसा कोई मौखिक हक त्याग रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 व सावित्री देवी ने कभी नहीं छोड़ा जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में अपने नाम दर्ज भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के करवाई है। जिसका अमलदरामद हो चुका है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अनुसरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कृषि भूमि पर काबिज है। अपीलाण्ट का रेस्पोउेण्ट संख्या 2 से 4 को विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने से अपीलाण्ट को यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है, के नाम दर्ज आराजी को जरिये राजीनामा अपने नाम दर्ज करवाई है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 4 के पिता रामरख की मृत्यु उपरान्त उनके नाम दर्ज कृषि भूमि उसके सभी 9 वारिसों अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि उसके सभी 9 वारिसों अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 व बलराम, मनीराम, सावित्री, इन्दो, को विरास्तन प्राप्त हुई थी।

7. अपीलाण्ट का यह कथन कि उनकी माता की मृत्यु के बाद पांचों बहिनों ने अपना अपना विरासतन हक व हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा बलराम, मनीराम के हक में मौखिक रूप से छोड़ दिया था तभी से उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता बलराम व मनीराम के संयुक्त आधिपत्य व धारा में चली आ रही है। मगर मौखिक हक त्याग रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 व सावित्री देवी ने कभी छोड़ा हो ऐसा काई साक्ष्य अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया हैं। बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में अपने नाम दर्ज भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के करवाई है, जिसका अमलदरामद हो चुका है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अनुसरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कृषि भूमि पर काबिज है। अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 को विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने से अपीलाण्ट को यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/23

(करतारसिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व रीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर०ए०एस०

अपील संख्या 62 / 2023 223 आरटीएक्ट

साहबराम पुत्र रामरख उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी चक 5 ए.आर.डब्ल्यू. चोटियांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ। — अपीलान्ट

बनाम

1. हरीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. निराणी पुत्री श्री रामरख पत्नी जसवंत सिंह जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. संतोष देवी उर्फ संतो देवी पुत्री श्री रामरख पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. माया पुत्री रामरख पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसील राजस्व, हनुमानगढ। — रेस्पोडैन्ट
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2018 व डिक्री दिनांक 14.06.2018 (22.06.2018) एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 [illegible] सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमानगढ़, प्रकरण सं0 394 / 2017 उनवान हरीराम बनाम निराणी आदि

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

1. आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश दीपराय, गुलाब सिंह बराड़ अभिभाषक अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 की बहस समायत की जाकर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.07.23 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़